समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 15 जुलाई, 2011 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 21 जुलाई, 2011 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-04 बैठकें हुई।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 15 जुलाई, 2011 को बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित तथा सत्रोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत बारह विधेयकों का विवरण तथा तीन विधेयक यथा- बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक, 2011, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी विवाद निवारण न्यायाधिकरण विधेयक, 2011 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग विधेयक, 2011 जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमति रोक ली गई है, का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सभा में उपस्थापित किया गया। सात जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया तथा मुम्बई में हुए बम विस्फोट एवं फतेहपुर में हुई ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 19 जुलाई, 2011 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010-2011 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान के चतुर्थ तिमाही का परिणाम की एक प्रति एवं मानव संसाधन विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा पटना विश्वविद्यालय, पटना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 की एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (संख्या-2010 का 23) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू किया जाय और राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से सम्पूर्ण बिहार में लागू हो से सम्बन्धित राजकीय संकल्प का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड स्थित भजनपुरा गाँव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग के सम्बन्ध में सामान्य लोकहित के विषय पर सदन में वाद-विवाद हुआ जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया ।

दिनांक 20 जुलाई, 2010 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2010 को अंत होने वाले वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) एवं (राजस्व प्राप्तियाँ) तथा वर्ष 2009-10 का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

निगरानी विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-25 के तहत निगरानी विभाग द्वारा धारा 5 (1) के अन्तर्गत निर्गत घोषणा से संबंधित ज्ञापांक-1296, दिनांक 09.03.2011 की प्रति एवं पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित उर्जा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ एवं शेष माँग गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त इससे संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2011 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 21 जुलाई, 2011 को वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-09, दिनांक 10.03.2011, एस.ओ.-53, एवं 55, दिनांक 06.05.2011, एस.ओ.-164, दिनांक 27.06.2011 तथा एस.ओ.-166, दिनांक 29.06.2011 की एक-एक प्रति एवं पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत् बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 की प्रति सदन पटल पर रखी गई । बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति एवं आश्वासन समिति के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये गये ।

वर्त्तमान सत्र में कुल पाँच राजकीय विधेयक यथा- (1) बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011, (2) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011, (3) बिहार भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक, 2011, (4) बिहार नैदानिक स्थापना (नियंत्रण एवं विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2011 एवं (5) बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा विधेयक, 2011 सदन द्वारा स्वीकृत किये गये ।

सत्र के दौरान कुल-800 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 511 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 18 अल्पसूचित प्रश्न, 320 तारांकित प्रश्न तथा 173 अतारांकित प्रश्न थे । सदन में 22 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 83 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये तथा 05 प्रश्न अपृष्ठ हुए । 401 प्रश्न अनागत हुए । सत्र के दौरान कुल-74 स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचना सदन में विचार के लिए रखे गये ।

इस सत्र में कुल-53 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 37 स्वीकृत हुए एवं 16 अस्वीकृत हुए । कुल-41 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 32 स्वीकृत एवं 09 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र में कुल- 87 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 06 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 65 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 16 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये ।

बिहार विधान सभा के माननीय दलीय नेताओं के सर्वानुमति से बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों से अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को सभा सचिवालय को निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये प्रोफर्मा में उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा सदन में की गई ।

बिहार विधान सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा दल का जनता दल (यूनाईटेड) में विलय होने तथा पंचदश बिहार विधान सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मात्र सदस्य, श्री सुमित कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-243 चकाई) को जनता दल (यूनाईटेड) के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई ।

प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सदन की सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❄❄❄❄❄